187

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3360–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.09.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 485/2013–14/अपील

.....

1– मंगलसिंह पुत्र स्व. श्री भज्जू सिंह यादव,

2– ग्याप्रसाद पुत्र स्व. श्री भज्जू सिंह यादव,
निवासीगण– ग्राम बर्गेधरीसानी,
तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

--- आवेदकगण

विरूद्ध

बंकू उर्फ बंकाजू यादव पुत्र
स्व. श्री भज्जू सिंह यादव,
निवासीगण– ग्राम बर्गेधरीसानी,
तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

--- अनावेदक

श्री एस0एल0 धाकड़, अधिवक्ता – आवेदकगण,
श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अधिवक्ता – आवेदकगण
श्री एच0एस0 यादव, अधिवक्ता – अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 18./10./2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 485/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 18.09.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील दतिया के ग्राम बर्गेधरीसानी में स्थित विवादित भूमि कुल किता 40 कुल रकवा 2.450 हैक्टेयर के भूमिस्वामी आवेदकगण एवं अनावेदक के स्व0 पिता श्री भज्जू थे। भज्जू के

दो पत्नी एक हरकू तथा दूसरी रमकू थी पत्नी हरकू के दो पुत्र ज्ञानसिंह एवं बंकाजू तथा रमकू के मंगल एवं ग्याप्रसाद थे, जो संयुक्त रूप से निवास करते थे। पिता श्री भज्जू एवं दोनों पत्नियों की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित भूमि भज्जू के वैध वारिस चारों पुत्रों के नाम समान भाग 1/4 पर नामान्तरण होकर अभिलेख दर्ज है। ज्ञानसिंह के कई वर्षे से गायब होने से ज्ञानसिंह को मृतक मानकर ज्ञानसिंह के भाग पर एक सिजरा एवं पंचनामा के आधार पर अनावेदक द्वारा नामान्तरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो पंजी क्रमांक 14 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2013 के द्वारा नामान्तरण स्वीकार किया गया।

आवेदकगण द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 86/2013-14 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.08.2014 के द्वारा अवधि वाह्य मानकर अपील निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश दिनांक 08.08.2014 विरूद्ध द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 485/2013-14 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 18.09. 2015 के द्वारा अस्वीकार की गयी, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण किया गया।

3- प्रकरण में आवेदकगण की ओर से बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अधिवक्ता उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री एच.एस. यादव, अधिवक्ता उपस्थित हुये।

आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि विवादित भूमि के भू-स्वामी आवेदकगण एवं अनावेदक स्व0 पिता श्री भज्जू थे। मज्जू की दो पत्नियॉ हरकू एवं रमकू थी। उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। हरकू के दो पुत्र ज्ञान सिंह एवं बंकाजू तथा रमकू के मंगलसिंह एवं ग्याप्रसाद थे। जो संयुक्त ही निवास करते थे। पिता एवं माताओं की मृत्यु के पश्चात् भज्जू की विवादित भूमि पर भज्जू के चारों पुत्रों के नाम समान भाग 1/4 पर नामान्तरण अभिलेख दर्ज हुआ। उनका बंटवारा नहीं हुआ है।

अनावेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया गया कि ज्ञानसिंह से कई वर्षो से गायब था। उसे मृतक मानकर फर्जी सिजरा एवं पंचनामा के आधार पर बिना इश्तहार जारी किये। आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नामान्तरण नियमों के विपरीत, पंजी-14 पर नामान्तरण आदेश दिनांक 08.07.2013 अवैधानिक रूप से पारित किया गया है और यह भी बताया कि पंचनामा में जिन लोगों के हस्ताक्षर किये है, वह फर्जी है। उन्होंने शपथ-पत्र प्रस्तुत किये कि पंचनामा पर हमने हस्ताक्षर नहीं किये है। फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायदृष्टांत -- आर.एन. 2014, नोट 155 पर निर्भरता व्यक्त कर प्रस्तुत किया।

आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के समक्ष अपील जानकारी दिनांक 12.02.2014 विधिवत अवधि आवेदन मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसके खण्डन में कोई

जबाव एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जानकारी दिनांक से बिलम्ब को माफ करने में त्रुटि की है। न्याय की विफलता एवं तकनीकी आधार पर तथा बिलम्ब पर जोर नहीं दिया जाकर जानकारी दिनांक से मानकर उदार रुख अपनाते हुए बिलम्ब माफ न करने में त्रुटि की है। प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 2015 आर.एन. नोट - 509 (उच्च.न्याया.) एवं 1989 आर.एन. नोट - 243 और 1962 जे.एल.जे. शो.नो.-363 से स्पष्ट है। बिलम्ब माफ किया जाकर अपील को अवधि अन्तर्गत मान्य किया जाना न्यायसंगत है।

आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया गया कि विवादित भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक के स्वर्गीय पिता भज्जू की होने से आवेदकगण एवं अनावेदक चारों पुत्र वैध वारिस है। ज्ञानसिंह के लाबल्द फोत होने से उसके भाग पर तीनों भाईयों का 1/3 समान भाग पर नामान्तरण करने का अनुरोध किया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2013 एवं 08.08.2014 एवं 18.09.2015 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4- अनावेदक अभिभाषक श्री एच.एस. यादव ने अपने तर्को में बताया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदक तथा मृतक ज्ञानसिंह के पिता भज्जू यादव की दो पत्नियाँ थी एक पत्नी के दो पुत्र आवेदकगण है। दूसरी पत्नी के दो पुत्र अनावेदक एवं मृतक ज्ञानसिंह है। ज्ञानसिंह अनावेदक बंकाजू का भाई होने से उसका नामान्तरण स्वीकार किया जाये। अपील 7 माह 14 दिवस अवधि वाह्य होने से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5- प्रकरण में उभयपक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय जानकारी दिनांक से अवधि आवेदन पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है और आवेदकगण को कोई सूचना पत्र जारी ही नहीं किया गया, तब जानकारी दिनांक 12.02.2014 से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 2015 आर.एन. नोट - 509 (उच्च.न्याया.) एवं 1989 आर.एन. नोट - 243 और 1962 जे.एल.जे. शो.नो.-363 से समर्थित किया है। ऐसी स्थिति में तकनीकी आधार पर न्याय की विफलता नहीं की जा सकती। न्यायहित में अपील अवधि अन्तर्गत मान्य की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित अपने आदेश में केवल पटवारी के शपथपत्र पर जोर दिया गया है परन्तु पंजी क्र.14 का कोई अवलोकन नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि जब आवेदकगण को कोई सूचना पत्र जारी ही नहीं किया गया है, तब जानकारी दिनांक से अपील अवधि अन्तर्गत न मानकर अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के आदेश दिनांक 08.08.14

को स्थिर रखने में गंभीर त्रुटि की है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है, आवेदकगण भज्जू के वैध वारिस होने से उनको कोई सूचना नहीं दी गयी है और ना ही विधिवत इश्तहार जारी किया गया है और ना ही इश्तहार जारी करने की कोई दिनांक अंकित है और ना ही नामान्तरण नियम 27 का पालन किया गया है। अनावेदक द्वारा ज्ञानसिंह के फोत होने के आधार पर सिजरा एवं पंचनामा के आधार पर जो पंजी क्रमांक 14 पर नामान्तरण कराया है। उक्त पंचनामा पर किये गये हस्ताक्षर उक्त पंचों द्वारा प्रस्तुत अपने शपथ-पत्रों से यह प्रमाणित किया गया है कि उस पंचनामें पर हमने हस्ताक्षर नहीं किये है, फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त शपथपत्रों पर अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा अपने आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विवादित भूमि भज्जू के वैध वारिस उनके तीनों पुत्र आवेदकगण एवं अनावेदक का समान भाग 1/3 पर नामान्तरण स्वीकार किया जाता है। पंजी क्रमांक 14 में पारित आदेश दिनांक 08.07.13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि वाह्य मानने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के आदेश दिनांक 08.08.2014 को विधि-सम्मत न होने से निरस्त किये जाते है। यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

एम.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर